12 अगस्त, 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 72.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।**"**

(i) ग्राम चीमेनी, कासरगोड जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2016 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) का अनुरोध

विकासक का नाम : केरल स्टेट आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल)

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : चिमेनी गांव, कसारगोड जिला, केरल

विस्तार : विकासक को पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 18 सितंबर, 2016 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 19 सितंबर, 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	25
2.	निर्माण की लागत	80.66
3.	प्लांट एवं मशीनरी	--
4.	अन्य ऊपरी खर्च	6.18

	कुल	111.84

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	25	--
2.	सामग्री का प्रापण	--	--
3.	सेवा लागत	0.06	--
4.	अन्य ऊपरी खर्च (निर्माण)	3.37	3.37
	कुल	28.43	3.37

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	50000 वर्गफीट के आईटी भवन का निर्माण	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत	31,04,2017

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम एराममं, कन्नूर जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : केरल स्टेट आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल)

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : एराममं गांव, कन्नूर जिला, केरल

विस्तार : विकासक को पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 18 सितंबर, 2016 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 19 सितंबर, 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	1.27
2.	निर्माण की लागत	60.01
3.	प्लांट एवं मशीनरी	--
4.	अन्य ऊपरी खर्च	--
	कुल	61.28

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	0.77	--
2.	सामग्री का प्रापण	--	--
3.	सेवा लागत	0.81	0.81
4.	अन्य ऊपरी खर्च (निर्माण)	2.05	2.05
	कुल	3.63	2.86

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	50000 वर्गफीट के आईटी भवन का निर्माण	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत	31,03,2017

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 72.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।

- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(i) 15 सितंबर, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो मंगलौर, बंगलौर में मैसर्स मंगलौर (बहु उत्पाद) एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** 16 सितंबर, 2011
- **विस्तार :** 15 सितंबर, 2016 तक 4 (चार)
- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट ने बताया है कि 4750 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानित निवेश के साथ परियोजना का कुल निवेश है जिसके विरुद्ध उन्होंने 4250 करोड़ रुपए का निवेश कर लिया है तथा एलओए की बढ़ाई गई अवधि के दौरान शेष कार्य के लिए शेष निवेश 500 करोड़ निवेश अर्थात 10.53 प्रतिशत का निवेश किया जाएगा।

(ii) संगत फोटो के साथ कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत की गई है जिससे पता चलता है कि परियोजना के निर्माण का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है तथा साइट कार्यालय, मेन प्लांट एरिया, कूलिंग टावर, निस्सारी शोधन संयंत्र (ईटीपी), ईटीपी के लिए सर्ज टैंक, ईटीपी के लिए यूएएसबी रिएक्टर, डिमिनरलाइजेशन प्लांट, 6.5 केवी - 33 केवी, 415 केवी का सब स्टेशन आदि का निर्माण पूरा हो चुका है।

(iii) यूनिट ने इसके बाद डीजल और एलएसएचएस स्टोरेज टैंक, डेमिन वाटर प्लांट और लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट, कूलिंक टावर, इंस्ट्रूमेंट एयर रिसीवर तथा बफर वेजल, बायोमास फ्यूल बॉयलर, विच यार्ड, सब स्टेशन, सेंट्रल कंट्रोल रूम, पाइप रैक, पैराक्सलीन स्टोरेज टैंक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, गार्ड पांड का निर्माण किया है।

(iv) 78.6 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा इंजीनियरिंग एवं प्रापण लगभग 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। यूनिट ने बताया है कि दिसंबर 2016 तक संपूर्ण परियोजना पूरी हो जाएगी।

विलंब के कारण : परियोजना इनविस्टा (डू पोंट) द्वारा प्रदान की गई प्रौद्योगिकी से शुरू की गई। एक साल बाद ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी श्रेष्ठ अधुनातन प्रौद्योगिकी की बिक्री करने का प्रस्ताव किया जिसे उनके

प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया। यूनिट ने बताया है कि वे पिछली बार बढ़ाई गई 1 साल अवधि के दौरान 78 प्रतिशत के बाद 13.70 प्रतिशत की वृद्धिमूलक कार्यान्वयन प्रगति के साथ अब तक 4250 करोड़ रुपए के निवेश से 92.3 प्रतिशत परियोजना पूरी कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि वे अपेक्षित गति से परियोजना पूरी नहीं कर सके क्योंकि पेट्रो रसायन प्लांट में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण / मशीनरी प्राप्त करने में उनको अत्यधिक विलंब का सामना करना पड़ा, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस प्रकार है - एलएंडटी से टिटेनियम क्लैडेड डिस्टिलेशन कॉलम जिसमें आईआर समस्या (हड़ताल के कारण 6 माह से अधिक विलंब हुआ हालांकि एलएंडटी ने अर्ध निर्मित वेजल किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किए थे ताकि आईआर मुद्दों से बचा जा सके। इसी तरह दक्षिण कोरिया के टीएसएम से पीटीए रिएक्टर, मदर प्लांट का हर्थ प्राप्त करने में 6 माह से अधिक विलंब हुआ क्योंकि कंपनी बीमार हो गई तथा बंद कर दी गई। उनका रिएक्टर काफी विलंब के साथ टीएसएम द्वारा निर्मित आखिरी वेजल था।

विकास आयुक्त, मंगलौर एसईजेड, ने सिफारिश की है ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध प्रस्तुत किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज जो केएएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

आयातित स्क्रैप जैसे कि एमएस स्क्रैप, एमएच स्क्रैप, सीआई स्क्रैप, कॉपर ब्रास एल्युमिनियम तथा अन्य लघु धात्विक स्क्रैप की रिसाइकल की गई मदों तथा ब्रास एवं कॉपर ड्रॉस की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट को एलओए दिनांक 23 सितंबर 1995 जारी किया गया था। यूनिट के एलओपी की अवधि 2 अप्रैल 2016 को समाप्त हो गई है तथा यूनिट ने अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात 2 अप्रैल 2016 से तीन साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

22 जून, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड को 5 वर्षों के सही ब्लाक का सत्यापन करने तथा उस अवधि के दौरान यूनिट के एनएफई निष्पादन का सत्यापन करने का निदेश दिया।"

अब विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया है कि :

(क) 5 वर्षों की अवधि का सही ब्लाक :

(i) यूनिट को 23 सितंबर 1995 को एलओपी जारी किया गया तथा यूनिट ने दिसंबर 1995 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। तथापि, एफटीजेड से एसईजेड में परिवर्तन के कारण 31 अक्टूबर 2000 तक की स्थिति के अनुसार तत्कालीन कांडला फ्री ट्रेड जोन के अधीन क्रियाशील केएएसईजेड के सभी यूनिटों के मंजूरी पत्र की वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2015 तक बढ़ाई गई। इसलिए ऐसे परिवर्तन के बाद (क) 5 वर्ष की उनकी पहली ब्लाक अवधि 1 नवंबर 2000 से 31 अक्टूबर 2005 तक थी। (ख) 5 वर्ष की दूसरी ब्लाक अवधि 1 नवंबर 2005 से 31 अक्टूबर 2010 तक थी। तथापि, एलओपी केवल 26 जून 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिए प्रभावी था क्योंकि 1 नवंबर 2005 से 31 अक्टूबर

2010 तक के 5 वर्ष की उपर्युक्त ब्लाक अवधि को बहाल करते हुए 2 जून 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 33वीं बैठक में एलओपी का नवीकरण किया गया।

(ii) 5 साल की तीसरी ब्लाक अवधि अर्थात 1 नवंबर 2010 से 31 अक्टूबर 2015 तक की उनकी श्रृंखला टूट गई क्योंकि एलओपी के पुन: नवीकरण के लिए उनका प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड द्वारा या तो अस्वीकार कर दिया गया या फिर आस्थगित कर दिया गया। वैधता अवधि बढ़ाने के लिए उनके अनुरोध को 14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 44वीं बैठक में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि पिछले 5 वर्षों में कोई गतिविधि नहीं हुई है और यह भी कहा गया कि स्क्रैप की रिसाइकलिंग करने वाली ऐसी यूनिट को एसईजेड में हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा 6 जून 2012 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने उनके प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने उनके मामले की इस आधार पर सिफारिश नहीं की थी कि यह एसईजेड में अपशिष्ट और स्क्रैप का सृजन करेगी। इस कार्यालय की सकारात्मक रिपोर्ट / सिफारिश के बाद अंतत: 6 जून 2014 को आयोजित 61वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई परंतु 3 अप्रैल 2014 से 2 अप्रैल 2016 तक केवल दो साल की अवधि के लिए। इस प्रकार 5 साल की तीसरी ब्लाक अवधि 3 अप्रैल 2014 से 2 अप्रैल 2019 तक मानी जा सकती है, यदि अनुमोदन बोर्ड एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लेता है।

(ख) उपर्युक्त ब्लाक अवधि के दौरान उक्त यूनिट का एनएफई निष्पादन :

(i) 1 नवंबर 2000 से 31 अक्टूबर 2005 तक की अवधि के दौरान : उक्त यूनिट द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 5 साल की अपनी पहली ब्लाक अवधि के दौरान अर्थात 1 नवंबर 2000 से 31 अक्टूबर 2015 तक लगभग 5.93 करोड़ रुपए का संचयी सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया।

(ii) 1 नवंबर 2005 से 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के दौरान : उन्होंने 5 साल की अपनी दूसरी ब्लाक अवधि के दौरान अर्थात 1 नवंबर 2005 से 31 अक्टूबर 2010 के दौरान शून्य एनएफई प्राप्त किया; इस अवधि के दौरान यूनिट द्वारा कोई गतिविधि संचालित नहीं की गई। तथापि, इस बात का उल्लेख करना संगत है कि 2 जून 2009 को आयोजित 33वें अनुमोदन बोर्ड के आधार पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26 जून 2009 के माध्यम से समान अवधि के लिए उनके एलओए को नवीकृत किया गया / वैधता अवधि बढ़ाई गई जिसकी सूचना मंत्रालय के पत्र दिनांक 5 जून 2009 के माध्यम से प्रदान की गई। इस प्रकार यूनिट अपने एलओए के नवीकरण / विस्तार के अभाव में 26 जून 2009 तक निष्क्रिय थी। वस्तुत: यूनिट के लिए उपलब्ध एलओए की अवधि मात्र एक वर्ष और 4 माह थी। अब यूनिट को इस अवधि के लिए सकारात्मक एनएफई प्राप्त न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(iii) 3 अप्रैल 2014 से 2 अप्रैल 2016 तक की अवधि के दौरान : उन्होंने वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान 5.25 करोड़ रुपए का नकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है :

(i) एलओपी का विस्तार गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति में उल्लिखित सभी शर्तों तथा एलओपी की अन्य स्वाभाविक शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा।

(ii) किसी अन्य मद की ब्राड बैंडिंग अनुमत नहीं होगी।

(iii) पिछले दो वर्षों की अधूरी निर्यात बाध्यता तीन वर्षों की अगली अवधि के दौरान पूरी की जाएगी।

(iv) 4 अप्रैल 2016 से नई एचडब्ल्यू (एमएचएंडटीएम) नियमावली, 2016 की अनुसूची 6 के अंतर्गत आने वाली किसी मद जो आयात के लिए निषिद्ध है, का कोई आयात अनुमत नहीं होगा।

तद्नुसार यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स किचेन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स किचेन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड को प्रसंस्कृत दाल, अनाज, मसालों, मसूर आदि के निर्माण एवं व्यापार के लिए 24/25 जून 2010 को अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त यूनिट का एलओपी 31 मई 2016 तक वैध है। इसके अलावा 28 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 43वीं बैठक में दालों के आयात पर यह शर्त लगाई गई कि विदेश व्यापार नीति में निर्यात पर प्रतिबंध लागू रहने तक डीटीए से कोई प्रापण नहीं किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2011 से 2015-16 तक की अवधि के लिए वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार **5** वर्षों की ब्लाक अवधि के दौरान यूनिट का निष्पादन इस प्रकार है **:**

(i) यूनिट ने 45.67 करोड़ रुपए का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है जिसमें **193.70** करोड़ रुपए का भौतिक निर्यात शामिल है।

(ii) भवन तथा प्लांट एवं मशीनरी में 11.55 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(iii) 60 लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया गया है।

चूंकि प्रसंस्कृत दाल, अनाज, मसालों तथा मसूर के व्यापार एवं निर्माण की मदें स्वतंत्र रूप से आयात की जा सकती हैं परंतु दालें और मसूर जो अध्याय शीर्ष 0713 के आईटीसी **(**एचएस**)** कोड के तहत आते हैं, मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यात के लिए निषिद्ध मद के रूप में हैं। एसईजेड नियमावली **2006** के प्रावधान 45 के पहले परंतुक के अनुसार, ऐसा प्रत्येक प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए जिसका निर्यात निषिद्ध है। अध्याय 9 के आईटीसी **(**एचएस**)** कोड के तहत आने वाले अनाजों एवं मसालों जिनका अन्यथा स्वतंत्र रूप से आयात और निर्यात किया जा सकता है तथा अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, के संबंध में एलओए का नवीकरण इस प्रशासन द्वारा **5** साल की अगली अवधि के लिए किया गया है तथा दालों और मसूर जैसे उत्पादों के लिए, अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए उन्हीं शर्तों पर सिफारिश की जाती है कि मसूर / दालों का निर्यात निषिद्ध होने तक किसी डीटीए प्रापण की अनुमति नहीं होगी।

चूंकि निषिद्ध मदों के रूप में दालों और मसूर के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव मंजूर किया जा चुका है इसलिए 1 जून 2016 से 31 मई 2021 तक 5 साल की अवधि के लिए उपर्युक्त यूनिट की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) 23 जून 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम मटोडा, सानंद, अहमदाबाद, गुजरात में जायडस फर्मा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** 6 जून, 2008
- **विस्तार :** 23 जून, 2016 तक 5 (पांच)
- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट निर्धारित एवं बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं कर सकी जिसकी वजह से उक्त यूनिट के एलओए दिनांक 6 जून 2008 को एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (5) के अनुसरण में निरसन आदेश दिनांक 22 मार्च 2012 के माध्यम से 31 मार्च 2011 से कालातीत माना गया है।

इसके बाद यूनिट ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दाखिल की थी जिसे आदेश दिनांक 3 जुलाई 2013 और 17 सितंबर 2013 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। इसके बाद यूनिट ने उपर्युक्त एलओए दिनांक 6 जून 2008 को बहाल करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की थी। 8 नवंबर 2013 को आयोजित अपनी 60वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को यह निदेश दिया था कि वे यूनिट एवं विकासक को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा 30 दिन के अंदर सकारण आदेश पारित करें।

निदेश के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एलओए के स्वप्रेरणा से निरसन की पुष्टि करते हुए आदेश दिनांक 10/13 जनवरी 2014 पारित किया था जिसकी सूचना यूनिट को पत्र दिनांक 2 अप्रैल 2012 के माध्यम से प्रदान की गई। तथापि, व्यथित होकर उपर्युक्त एसईजेड यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड से संपर्क किया था और इसके बाद 3 अप्रैल 2014 को आयोजित अपनी 61वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त के उपर्युक्त आदेश दिनांक 10/13 जनवरी 2014 को अपास्त कर दिया तथा विकासक द्वारा आवेदक को प्लाट का कब्जा सौंपे जाने की तिथि से एक साल की अवधि के लिए एलओए को बहाल किया गया।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं कर सकी है, तथापि 23 मई 2014 से एक मशीन के साथ ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो गया है।

(ii) उनका निर्माण कार्य भी पूरे जोरों पर चल रहा है तथा 6 माह के अंदर पूरा हो जाएगा।

(iii) यूनिट ने अब तक इस परियोजना पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तथा चरण 1 का कार्य पूरा हो गया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

तद्नुसार यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 72.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जेके बिल्डर्स का अनुरोध

223.56 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स जेके बिल्डर्स ने 13200 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए स्थान के विकास तथा सभी डिफाल्ट रूप में अधिकृत प्रचालन के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 7 अप्रैल, 2014 पट्टा की अवधि 95 साल है। डीआर नंबर आईटी/आरजीआईपी पीएच-3/333925 दिनांक 25 अगस्त 2015 के माध्यम से 1109500 रुपए के विभेदक प्रीमियम के रूप में पट्टाधारक द्वारा निगम को 1109500 रुपए का भुगतान किया गया।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया है कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन करने वाले मैसर्स जेके बिल्डर्स ने पहले यूनिट अर्थात मैसर्स जेके इनफोटेक के लिए आवेदन किया था तथा परियोजना को लागू नहीं कर सका था। इसलिए इस बारे में संदेह है कि आवेदक जब यूनिट स्थापित नहीं कर सका तो वह अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए सह विकासक के रूप में काम करने के पैरामीटरों को कैसे पूरा कर सकता है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

105-43-86 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 260000 वर्गफीट (24,155 वर्गमीटर) के क्षेत्रफल में प्रसंस्करण क्षेत्र में गिफ्ट एसईजेड के अंदर वाणिज्यिक भवन के निर्माण एवं विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 12 अप्रैल, 2016 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा सह विकास का प्रारूप करार भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 99 साल है। सह विकासक 26,00,00,000 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्रफल के लिए 1000 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से लगभग 2,60,000 रुपए के कुल प्रतिफल का भुगतान करेगा। यदि भवन प्लान में कोई परिवर्तन होगा और उसकी वजह से निर्मित क्षेत्र में वृद्धि होगी तो अतिरिक्त विकास अधिकार प्रदान करने के लिए पक्षों के बीच पूरक करार निष्पादित किया जाएगा तथा सह विकासक 1000 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से ऐसे अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए विकास अधिकार के लिए प्रतिफल का भुगतान करेगा।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 72.4 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) ऐक्शन एरिया 3जी, न्यू टाउन, कोलकाता, डाकघर कोलकाता लेदर कम्प्लेक्स, जिला दक्षिण 24 परगना में 20.148 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड	ऐक्शन एरिया 3जी, न्यू टाउन, कोलकाता, डाकघर कोलकाता लेदर कम्प्लेक्स, जिला दक्षिण 24 परगना	आईटी / आईटीईएस	20.148	हां	संख्या	नया

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की है, जो आवेदक से मंगाया गया है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) सर्वे नंबर 83/1, रायदुर्ग पनमाखता गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स देवभूमि रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स देवभूमि रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 83/1, रायदुर्ग पनमाखता गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	2.02 (5 एकड़)	हां	हां	नया

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) अमीनपुर गांव, पाटनचेरू मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना में 5.67 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स लिविंग स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स फिनिक्स लिविंग स्पेस प्राइवेट लिमिटेड	अमीनपुर गांव, पाटनचेरू मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	5.67	हां*	हां (20 मई, 2016)	22 जून 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था।

*प्रस्तावित विकास अप्रतिसंहार्य अधिकारों के साथ भूस्वामियों एवं विकासक के बीच संयुक्त उद्यम है।

उपर्युक्त प्रस्ताव 22 जून 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में आया था तथा अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को विकासक तथा भूस्वामियों के बीच करार के संबंध में विधिक स्थिति की जांच करने का निदेश दिया था। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पत्र दिनांक 23 जून 2016 के माध्यम से जांच की तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक (12 अगस्त 2016 को आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक) के विचारार्थ मामले को अनुमोदित किया (अनुबंध 1)।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 6.07 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड	नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	6.07	हां*	हां (20 मई, 2016)	22 जून 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था।

*प्रस्तावित विकास अप्रतिसंहार्य अधिकारों के साथ भूस्वामियों एवं विकासक के बीच संयुक्त उद्यम है।

उपर्युक्त प्रस्ताव 22 जून 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में आया था तथा अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को विकासक तथा भूस्वामियों के बीच करार के संबंध में विधिक स्थिति की जांच करने का निदेश दिया था। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पत्र दिनांक 24 जून 2016 के माध्यम से जांच की तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक (12 अगस्त 2016 को आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक) के विचारार्थ मामले को अनुमोदित किया (अनुबंध 2)।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) तहसील सौसार, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में 1320.065 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड	तहसील सौसर, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	बहु उत्पाद	1320.065	हां	हां (25 जून 2016)	एसजीआर प्राप्त न होने के कारण 24 अप्रैल 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था।

अब राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त हो गई है।

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 72.5 : विविध मामले

(i) कंपनी के निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स क्लिक ऐप्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 10 मार्च, 2015 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 26 मार्च, 2020 तक वैध है।

यूनिट अर्थात मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

शेयर धारक का नाम	निदेशकों में परिवर्तन से पूर्व शेयर होल्डिंग (शेयरों की संख्या)	निदेशकों में परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग (शेयरों की संख्या)
आदित्य कुमार	5000 (50 प्रतिशत)	--
सुश्री इंद्रजीत कौर	5000 (50 प्रतिशत)	--
श्री धरमराजन	--	5000 (50 प्रतिशत)
सुश्री हेमलता पुरुषोत्तम	--	5000 (50 प्रतिशत)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड

यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) नाम बदलकर मैसर्स सिरियस कंप्यूटर सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अवनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो चेन्नई में मैसर्स ट्रिल की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 21 अप्रैल, 2014 को एलओपी प्रदान किया गया था।

नाम बदलकर मैसर्स सिरियस कंप्यूटर सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने से पूर्व और इसके बाद एसईजेड यूनिट अर्थात मैसर्स अवनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डिंग का पैटर्न नीचे दिया गया है :

नाम में परिवर्तन से पूर्व :

शेयर धारक का नाम	प्रतिभूति का अंकित मूल्य (रुपए में)	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल राशि (रुपए में)
अवनेट, इंक	1	13,90,000	13,90,000
अवनेट एशिया प्राइवेट लिमिटेड	1	10,000	10,00

नाम में परिवर्तन के बाद :

शेयर धारक का नाम	प्रतिभूति का अंकित मूल्य (रुपए में)	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल राशि (रुपए में)
एससीएस होल्डिंग्स इंडिया इंक	1	13,99,999	13,99,999
सिरियस कंप्यूटर सोल्यूशंस, इंक	1	1	1

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं

का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इनफार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 02 मई, 2012 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 07 अगस्त, 2017 तक वैध है।

यूनिट अर्थात मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

शेयरों का प्रकार	मौजूदा शेयरधारक	नए शेयरधारक
इक्विटी	1. यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंटरनेशनल बीवी (यूएचजीआई बीवी) - 99.37 प्रतिशत 2. यूनाइटेड हेल्थ इंटरनेशनल इंक - 0.63 प्रतिशत	1. आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल बीवी (ओजीएसआई बीवी) - 99.37 प्रतिशत (8 दिसंबर 2014 से) 2. यूनाइटेड हेल्थ इंटरनेशनल इंक - 0.63 प्रतिशत
तरजीह	यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंटरनेशनल बीवी (यूएचजीआई बीवी) - 100 प्रतिशत	आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल बीवी (ओजीएसआई बीवी) - 100 प्रतिशत (26 नवंबर 2014 से)

इसके अलावा यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 24 मई 2016 के माध्यम से अन्य बातों के साथ मैसर्स आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल बीवी **(**ओजीएसआई बीवी**)** के संबंध में 2014 के लिए तुलन पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंडिया द्वारा अधिभोक्त उक्त कंपनी के संबंध में सभी परिसंपत्तियां तथा देयताएं जारी रहेंगी। यूनिट ने यह भी वचन दिया है कि कंपनी द्वारा सभी सरकारी कराधान तथा अन्य देयताओं का पालन किया जाना जारी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि 23 फरवरी 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने अन्य बातों के साथ यह निर्णय लिया है कि नियम 74ए ऐसी एसईजेड यूनिटों पर लागू नहीं होगा जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिटें नाम में परिवर्तन, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलय / डिमर्जर, स्लंप सेल, प्रोपराइटरशिप से पार्टनरशिप में संरचना में परिवर्तन तथा विलोमत:, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट / लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के रूप में संरचना में परिवर्तन तथा विलोमत:, 50 प्रतिशत तक शेयर होल्डिंग में परिवर्तन आदि जैसी स्थिति में एसईजेड यूनिटें सतत सरोकार आधार पर प्रचालन करना जारी रखती हैं और वस्तुत: एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकल रही हैं / निकलने का विकल्प नहीं चुन रही हैं। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

पाया गया है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग में 99.37 प्रतिशत का परिवर्तन है, तथापि यूनिट ने न तो नियम 74ए के तहत किसी अंतरण का प्रस्ताव किया है और न ही नियम 19 (2) के तहत किसी परिवर्तन की परिकल्पना की गई है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) में संस्था को परिवर्तित करने के लिए मैसर्स वोलुपिया डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

105.43.86 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स वोलुपिया डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2,50,000 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्रफल में प्रसंस्करण क्षेत्र में सेवाओं का निर्यात करने वाली यूनिटों के लिए कार्यालय भवन का विकास, अनुरक्षण एवं प्रचालन करने के लिए 1 जुलाई 2015 को उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। इसके बाद 50237 वर्गफीट का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल किया गया जिससे सह विकासक का कुल क्षेत्रफल 300237 वर्गफीट हो गया है।

अब सह विकासक ने संस्था को प्राइवेट लिमिटेड से एलएलपी के रूप में निम्नानुसार परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया है :

(i) प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में परिवर्तन पर मैसर्स वोलुपिया डवलपर्स एलएलपी को सह विकासक का दर्जा प्रदान करना

(ii) एलएलपी में परिवर्तन पर वर्तमान प्रमोटर्स को क्लास ए मेंबरशिप के अधिकार प्राप्त करना और

(iii) वोलुपिया डवलपर्स एलएलपी में विदेशी एवं घरेलू निवेशकों को क्लास बी मेंबरशिप के अधिकारों के निर्गम एवं अंतरण पर अनुमोदन बोर्ड से छूट प्राप्त करना।

इस संबंध में विकास आयुक्त, केएएसजेड ने पत्र दिनांक 12 अप्रैल 2016 के माध्यम से श्री देवांग व्यास, सहायक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, गुजरात उच्च न्यायालय से उपर्युक्त मामले अर्थात प्राइवेट लिमिटेड से एलएलपी में संस्था के परिवर्तन पर अपनी कानूनी राय प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। गुजरात उच्च् न्यायालय के एएसजी ने अपने पत्र दिनांक 22 जून 2016 के माध्यम से राय दी है कि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली में कोई समर्थकारी प्रावधान न होने के कारण मूल व्यक्तियों जिनके मामले पर विचार किया गया, के स्थान पर पूर्णत: नए साझेदारों के साथ नई संस्था को सह विकासक का दर्जा प्रदान करना उचित नहीं होगा और किसी शर्त एवं नियम जिसे भारत सरकार उपयुक्त समझे, के अधीन किसी संस्था (जो एलएलपी है) के किसी नए आवेदन पर विचार करना भारत सरकार के प्राधिकरण (अनुमोदन बोर्ड) के लिए उपयुक्त होगा और ऐसे किसी परिवर्तन के आधार पर विचार करना भी अनुमोदन बोर्ड के लिए उपयुक्त होगा, जो किसी नए विकासक या संस्था को सह विकासक का दर्जा हस्तांतरित करने से संबंधित है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) पुनर्नियात के लिए विदेशों से बींस / दालों / मसूर के आयात के लिए मैसर्स मिलक वेयरहाउस, केएएसईजेड का अनुरोध

मैसर्स मिलक वेयरहाउस को व्यापार की गतिविधि के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 9 अगस्त 2001 को मंजूरी प्रदान की गई थी और 4 अगस्त 2010 को वेयरहाउसिंग की सेवा प्रदान करने के लिए उसकी ब्राड बैंडिंग की गई। उपर्युक्त यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 14 अगस्त 2016 तक है।

अब यूनिट ने बींस, दाल, मसूर, स्प्लिट के आयात और मौजूदा एलओपी के तहत विदेशी ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित सफाई / छंटाई के बाद 25 / 40 / 50 किलो की पैकिंग में निर्यात करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है और उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुत किया है :

(i) बींस, दाल, स्प्लिट, मसूर (आईटीसी (एचएस) कोड 0713) का मौजूदा आयात नीति के अनुसार भारत में मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

(ii) बींस, दाल, स्प्लिट और मसूर का कोई घरेलू प्रापण नहीं होगा।

(iii) वे इसका विदेशों से 100 प्रतिशत आयात करेंगे तथा अपेक्षित सफाई / छंटाई के बाद इसे विदेशी ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार 25 / 40 / 50 किलो की बोरियों में पैक किया जाएगा और निर्यात किया जाएगा।

(iv) भारत के घरेलू व्यापार या खाद्य भंडार पर व्यापार की उक्त गतिविधि का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इसका 100 प्रतिशत प्रापण विदेशों से किया जाएगा।

(v) इस गतिविधि से भारत के घरेलू व्यापार को प्रभावित किए बगैर देश के लिए निवल विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा और 25 से 30 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन भी होगा।

(vi) उक्त यूनिट ने दाल, बींस और मसूर सहित 5 वर्षों के लिए 922 लाख रुपए के निवल विदेशी मुद्रा का अनुमान भी प्रस्तुत किया है।

वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों के अनुसार 5 वर्ष की पिछली ब्लाक अवधि के दौरान यूनिट का निष्पादन इस प्रकार है :

(i) यूनिट ने 18.06 करोड़ रुपए का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
(ii) भवन तथा प्लांट एवं मशीनरी में 0.52 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
(iii) 28 लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया गया है।

इसके अलावा बींस, दाल, स्प्लिट और मसूर के आयात और पुन: निर्यात जिसमें कुछ प्रक्रिया शामिल है जैसे कि सफाई, छंटाई और 25 / 40 / 50 किलो के बैग में पैकिंग के लिए यूनिट का अनुरोध एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 2 (आर) के अनुसार विनिर्माण की गतिविधि नहीं है। संक्षेप में उपर्युक्त मदों का आयात और पुनर्निर्यात व्यापार की गतिविधि है।

यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि अनुमति के लिए उल्लिखित सभी मदों अर्थात बींस, दाल, स्प्लिट और मसूर जो अध्याय शीर्ष 0713 के आईटीसी (एचएस) कोड के तहत आती हैं, का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है परंतु मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अनुसार इनका निर्यात निषिद्ध है। एसईजेड नियमावली के नियम 45 के पहले परंतुक के अनुसार तथा मंत्रालय के अनुदेश संख्या 47 के अनुसार भी ऐसा प्रत्येक प्रस्ताव जिसका निर्यात निषिद्ध है, अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड के कार्यालय ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) अपनी कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स एपसिलोन फर्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो पोलीपल्ली गांव, जडचेरला मंडल, महबूब नगर जिला, तेलंगाना में फर्मास्युटिकल फर्मुलेशन के लिए मैसर्स टीएसआईआईसी लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 14 दिसंबर, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था।

देखा जा सकता है कि मैसर्स एपसिलोन फर्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड की संपूर्ण शेयर पूंजी (100 प्रतिशत) का मैसर्स एमनियल ऑंकोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शेयर क्रय करार के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया गया है।

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में **100** प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की **69**वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (2) के अनुसार उद्यमी को डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएस) से बदलकर डेल बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीबीपीएस) करने के लिए मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लांट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा में मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड था) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड था) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, को 8 अगस्त 2012 को एलओपी प्रदान किया गया था।

अब यूनिट ने 2 संस्थाओं के बीच किए गए व्यवसाय अंतरण करार के अनुसरण में उद्यमिता को डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएस) से डेल बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीबीपीएस) को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूनिट ने बताया है कि व्यवसाय की उद्यमिता में परिवर्तन का कार्य 31 जुलाई 2016 तक पूरा हो जाएगा तथा 1 अगस्त 2016 से प्रभावी होगा। व्यवसाय अंतरण करार (बीटीए) के अनुसार अन्य बातों के साथ यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (42 सी) के अभिप्राय के तहत स्लंप सेल के आशार पर सतत सरोकार की बिक्री है। यूनिट ने बताया है कि यह केवल व्यवसाय, परिसंपत्ति एवं देयताओं का अंतरण है तथा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (2) के अंतरण में उद्यमिता में परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

एसईजेड यूनिट के प्रस्तावित अधिग्रहण से पहले और इसके बाद अंतरक एवं अंतरिती के शेयर होल्डिंग का ब्यौरा नीचे दिया गया है जो सीए द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित है :

डेल बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती कंपनी)

	अंतरण से पूर्व (3 जून 2016 तक की स्थिति के अनुसार)		शेयर / क्रय करार के अनुसार शेयरों के अंतरण के बाद (1 अगस्त 2016 से)	
शेयर धारक का नाम	10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
डेल सिस्टम्स टीएसआई (मारीशस) प्राइवेट लिमिटेड	96147945	52.14	159836782	86.67
डेल इंटरनेशनल	63688808	34.53	--	--

एलएलसी				
डेल इंटरनेशनल होल्डिंग्स 8 बीवी	29	0.00	--	--
डेल (पीएस) इनवेस्टमेंट बीवी	24583551	13.33	24583551	13.33
कुल		100		100

डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अंतरक कंपनी)

	अंतरण से पूर्व (19 मई 2016 तक की स्थिति के अनुसार)		अंतरण के बाद (20 मई 2016 तक की स्थिति के अनुसार)	
शेयर धारक का नाम	2 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	2 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
डेल ग्लोबल बीवी	--	--	69770237	60.81
डेल सिस्टम्स टीएसआई (मारीशस) प्राइवेट लिमिटेड	55703237	48.55	--	--
डेल इंटरनेशनल एलएलसी	36200126	31.55	36200126	31.55
डेल इंटरनेशनल होल्डिंग्स 8 बीवी	16	0.00	16	0.00
डेल (पीएस) इनवेस्टमेंट बीवी	14067000	12.26	--	--
फोर्स 10 नेटवर्क्स ग्लोबल इंक	4693095	4.09	4693095	4.09
अर्वेटेल एलएलसी	2495827	2.18	2495827	2.18
डेल साफ्टवेयर इंक	250	0.00	250	0.00
वायस टेक्नोलॉजी एलएलसी	1552961	1.35	1552961	1.35
वायस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बीवी	7	0.00	7	0.00
डेल मार्केटिंग एलपी	26179	0.02	26179	0.02
कुल				100

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने उद्यमी को डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएस) से बदलकर डेल बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीबीपीएस) करने के उपर्युक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है तथा उपर्युक्त प्रस्ताव वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

(viii) एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन के अनुमोदन के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो महादेवपुरा, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

11.31 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 जुलाई, 2008 को अधिसूचित किया गया था।

विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथा लागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
1.	फूड कोर्ट / फूड कियोस्क एरिया	10	2418.03	2418.03
2.	रिटेल स्पेस, कियोस्क	1	9.29	9.29
3.	जिम / हेल्थ क्लब की सुविधाएं	1	580.39	580.30
4.	शॉपिंग आर्केड और / या रिटेल स्पेस (ओपन एरिया में - एमिनिटी ब्लाक के पास)	10	232.34	232.34
5.	रेस्टोरेंट जो स्पिरिट एवं ब्रिवरी सहित फूड, बिवरेज सर्व करेगा	1	557.62	557.62
6.	मनोरंजन क्षेत्र	1	929.37	929.37
7.	कैंटीन और डायनिंग एरिया	1	2416.36	2416.36
8.	ग्राहक सेवा केंद्र	1	469.33	469.33

विकास आयुक्त, सीएसईजेड के कार्यालय ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) यूनिट अनुमोदन समिति, केएएसईजेड द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 6 जून 2016 के विरुद्ध मैसर्स टेक्सूल स्पिनर्स जो केएएसईजेड की यूनिट है (पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों से सैक और बैग के निर्माण को शामिल करने के लिए अनुमति) (मद संख्या 97.2.4), की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स टेक्सूल लिमिटेड (दिव टेक्सूल स्पिनर्स) को वुलेन / सिंथैटिक शोडी यार्न के निर्माण को शामिल करने की अनुमति के संबंध में 22 जून 2004 को एलओपी इस शर्त के साथ जारी किया गया कि वे कच्चा माल - पुराने और प्रयुक्त कपड़ों की प्रोसेसिंग करेंगे तथा बताया गया कि एसईजेड फ्री जोन के फार्मूला पर प्रचालन कर रहा है - मात्रा प्रतिबंधित है और यह कि जब एसईजेड नियमावली को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो यह प्रतिबंध अपने आप हट जाएगा। यूनिट के प्रबंध निदेशक 6 जून 2016 को अनुमोदन सिमति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि होटल उद्योग में इस उत्पाद का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है और यह ग्रीन पहल है क्योंकि कपड़े के ये बैग प्लास्टिक के परंपरागत बैग को प्रतिस्थापित करेंगे।

पुराने और प्रयुक्त कपड़ों से सैक और बैग का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में उपर्युक्त प्रस्ताव पर 6 जून 2016 को आयोजित केएएसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति की 97वीं बैठक में चर्चा हुई तथा विचार विमर्श के बाद समिति ने पाया कि इस प्रक्रिया में यूनिट द्वारा अग्रेतर मूल्यवर्धन शामिल है; तथापि चूंकि फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़े का प्रयोग शामिल है, इसलिए समिति ने मामले को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया।

यूनिट अनुमोदन समिति की सलाह के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 72.6 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2015 के विरुद्ध मैसर्स मोजेर बियर इंडिया लिमिटेड (एसईजेड पावर प्लांट यूनिट) जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

22 जून, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले में डीजीईपी से विस्तृत परामर्श की आवश्यकता है और इसलिए मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 मई 2016 के विरुद्ध मैसर्स विकास टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (वीटीपीएल) जो एंबेसी टेक विलेज, बंगलौर में विकास टेलीकॉम एसईजेड का विकासक है, की अपील

22 जून, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले में डीजीईपी से विस्तृत परामर्श की आवश्यकता है और इसलिए मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 मई 2016 के विरुद्ध मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) जो नगवारा, बंगलौर में मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड का विकासक है, की अपील

22 जून, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले में डीजीईपी से विस्तृत परामर्श की आवश्यकता है और इसलिए मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

(iv) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2016 के विरुद्ध मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड की अपील

मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव - फरीदाबाद रोड, सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के प्रचालन के लिए 26 जुलाई 2007 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस समय एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में दो आईटी भवन क्रियाशील हैं जिनका निर्मित क्षेत्र 1613440 वर्गमीटर है तथा एमिनिटी ब्लाक (पोडियम बिल्डिंग) भी क्रियाशील है जिसका निर्मित क्षेत्र 4740.50 वर्गमीटर है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 (5) के अनुसरण में उन्होंने एएसफ इनसिग्नया एसईजेड के एमिनिटी पोडियम में सैलून की सुविधा / सेवा प्रदान करने एवं संचालित करने के लिए निर्मित क्षेत्र आवंटित करने के

लिए यूनिट अनुमोदन समिति के पास आवेदन किया था, जिसे अधिकृत प्रचालनों के अनुसरण में प्रोसेसिंग क्षेत्र में विकसित किया गया है जिसे अनुमोदन बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 30 मई 2008 के माध्यम से आवश्यक वाणिज्यिक - माइक्रो शॉपिंग (यूटिलिटी स्टोर / एटीएम), फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट आदि के लिए 30 मई 2008 के पत्र के माध्यम से अनुमोदित किया गया है तथा यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा मंजूरी पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2011 के माध्यम से आवश्यक वाणिज्यिक - माइक्रो शॉपिंग (यूटिलिटी स्टोर / एटीएम / बैंक), फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट आदि, कन्फ्रेंस सुविधा के प्रचालन के लिए अनुमोदित किया गया है। हालांकि सैलून का प्रचालन सामान्यत: आवश्यक वाणिज्यिक सेवा के दायरे में शामिल होना चाहिए परंतु यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा पत्र दिनांक 15 जुलाई 2016 के माध्यम से सैलून के प्रचालन के लिए पट्टा पर स्थान देने से इन्कार किया गया है तथा यह कारण बताया गया है कि प्रस्तावित गतिविधि आईटी / आईटीईएस गतिविधि के लिए सहायता सेवा नहीं है।

इसके अलावा विकासक ने बताया है कि सैलून की प्रस्तावित गतिविधि एसईजेड में काम करने वाले सहयोगियों के लिए आवश्यक सेवा / सुविधा है क्योंकि यूनिटें 3 शिफ्ट में 24x7 प्रचालन कर रही हैं। उस प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 12000 कर्मचारी काम कर रहे हैं जो बढ़कर 30000 हो सकता है। इसके अलावा उक्त जोन / परियोजना से लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में उक्त प्रयोजन के लिए कोई सुविधा / सेवा नहीं है।

इसके अलावा एसईजेड में ऐसी सुविधाओं के लिए इस समय प्रावधान न होने के कारण इस संबंध में अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों या आसपास की बस्तियों में जाना पड़ सकता है जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है।

इसके अलावा विकासक ने बताया है कि 24 जुलाई 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 62वीं बैठक में मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड जो रामानुजन आईटी सिटी, राजीव गांवधी सलाइ (ओएमआर) तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, के संबंध में समान प्रकार का निर्णय दिया गया था (अनुबंध 3)।

ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में "ग्रेड 8 यूनीसेक्स सैलून" के ब्रांड नाम से सैलून स्थापित एवं प्रचालित करने के लिए पट्टा आधार पर श्री अजीत शर्मा को स्थान आवंटित करने से संबंधित प्रस्ताव 1 जुलाई 2016 को आयोजित अनुमोदन समिति (यूएसी) की बैठक में रखा गया था। तथापि, विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा पत्र दिनांक 15 जुलाई 2016 के माध्यम से उपर्युक्त प्रस्ताव को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि अनुमोदन समिति ने उक्त गतिविधि के लिए मंजूरी प्रदान करना उचित नहीं समझा क्योंकि प्रस्तावित गतिविधि आईटी / आईटीईएस गतिविधि के लिए सहायता सेवा नहीं है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त निरसन के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 4) दाखिल की है।

(v) यूनिट अनुमोदन समिति, केएएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 6 जून, 2016 के विरुद्ध मैसर्स टेक्सूल स्पिनर्स जो केएएसईजेड की यूनिट है (मद संख्या 97.2.3), की अपील

मैसर्स टेक्सूल लिमिटेड (दिव टेक्सूल स्पिनर्स) को वुलेन / सिंथैटिक शोडी यार्न के निर्माण को शामिल करने की अनुमति के संबंध में 22 जून 2004 को एलओपी इस शर्त के साथ जारी किया गया कि वे कच्चा माल - पुराने और प्रयुक्त कपड़ों की प्रोसेसिंग करेंगे तथा बताया गया कि एसईजेड फ्री जोन के फार्मूला पर प्रचालन कर रहा है - मात्रा प्रतिबंधित है और यह कि जब एसईजेड नियमावली को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो यह प्रतिबंध अपने आप हट जाएगा। उनका अनुरोध जारी किए गए मूल एलओपी दिनांक 22 जून 2004 की शर्त संख्या 9

को हटाने के लिए था (यूनिट इंट्राजोन क्रय के आधार पर सेकंड हैंड के कपड़ों पर आधारित केवल मैसर्स टेक्सूल वेस्टसेवर्स अथवा यूनिटों द्वारा अधिप्राप्त की गई सामग्री का प्रयोग करेगी तथा इन मदों का कोई आयात अनुमत नहीं होगा)।

यूनिट के प्रबंध निदेशक 6 जून 2016 को अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा बताया कि मैसर्स टेक्सूल वेस्टसेवर्स से कच्चा माल प्राप्त करना और उक्त यूनिट में आग लगने के बाद अपने अंतिम उत्पाद अर्थात यार्न के निर्माण के लिए कच्चा माल प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है।

उनके निवेदन को सुनने के बाद समिति ने कहा कि शर्त संख्या 9 वर्ष 2004 में जारी किए गए मूल एलओए की मौलिक शर्त है क्योंकि उस समय भी ऐसी यूनिटों के लिए नए एलओए में भी फटे पुराने कपड़ों के आयात के लिए अनुमति नहीं दी गई है। मूल एलओए दिनांक 22 जून 2004 की शर्त संख्या 9 को हटाने का अभिप्राय यूनिट द्वारा फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों का आयात करने की अनुमति प्रदान करना होगा और इस प्रकार यह फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों के लिए एक नया एलओए होगा जिसके तहत उक्त यूनिट सेकंड हैंड के प्रयुक्त कपड़ों का आयात करेगी जो एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) (ग) का उल्लंघन होगा।

पुराने और प्रयुक्त कपड़ों से सैक और बैग का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में उपर्युक्त प्रस्ताव पर 6 जून 2016 को आयोजित केएएसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति की 97वीं बैठक में चर्चा हुई तथा विचार विमर्श के बाद समिति ने पाया कि इस प्रक्रिया में यूनिट द्वारा अग्रेतर मूल्यवर्धन शामिल है; तथापि चूंकि फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़े का प्रयोग शामिल है, इसलिए समिति ने मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया।

इस प्रकार अपीलकर्ता ने उपर्युक्त निरसन के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 5) दाखिल की है।

******